18-1-22

06/12/21

अपीलार्थी / प्रति अपीलार्थी की ओर से

रेस्पो. व उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 CPC उत्तर पत्र एवं उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षरों व मय पत्रावली [illegible] पश्चात तथा [illegible] अवलोकन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारान के मध्य कोई आपसी की समझौता के तहत राजीनामा हो चुका है जिस राजीनामा के तहत अपील में वर्णित भूमि को रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा वर्ष [illegible] विक्रय पत्र अपीलार्थी के हक में विक्रय किया गया जिसमें रेस्पो. संख्या 3 लगायत 8 भी स्वयं के स्वत्व होकर अपने हक अधिकार व आधिपत्य अपीलार्थी के हक में त्याग व समर्पित कर दिए हैं एवं मात्र पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी के हक में स्वीकार किया जाता है तो रेस्पोंडेंट को भी किसी प्रकार का उज्र व एतराज नहीं है तथा